



अनुबंध "अ"
पश्चगमन विकल्प की नोटिस
फेडरल कोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया
(ऑस्ट्रेलियाचे सांघिक न्यायालय)

जनलोक क्लास अॅक्शन

कदम व अन्य विरुद्ध एम.आय.आय. रिसॉर्ट्स ग्रुप-३ प्रा. लि. व इतर

क्यू.यू.डी. ५२८ वर्ष २०१६

१. यह नोटिस महत्वपूर्ण क्यों है?

सुनंदा बाळकृष्ण कदम, विशाल दिलीप म्हेत्रे आणि आबासाहेब रूपनर (अर्जदार) इन्होंने एम.आय.आय. रिसॉर्ट्स ग्रुप-१ प्रा. लि., पल्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लि. (भारत), निर्मलसिंग भांगू, सुखविंदर कौर आणि गुरप्रताप सिंग (उत्तरवादी) के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाके सांघिक न्यायालयमे कारवाई का (क्लास अॅक्शन) प्रारंभ कर दिया है. इस क्लास अॅक्शनमे सिक्युरिटीज अॅन्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) अर्थात भारतके वैधानिक नियंत्रक तथा ऑस्ट्रेलियन कमिशनर ऑफ टॅक्सेशन के द्वारा हस्तक्षेप किया जायेगा। इस नोटिस मे उक्त क्लास ऑफ अॅक्शनचा उल्लेख "जनलोक क्लास अॅक्शन" के रूप मे किया है।

सेबी ने भी एक स्वतंत्र परंतु संबंधित कारवाई की अर्थात क्यू.यू.डी. १४७ वर्ष २०१७ की शरुआत कर दी आहे जिसमे इसी जनलोक क्लास अॅक्शन के विषयका समावेश है जिसका उल्लेख उक्त नोटिस मे सेबी कारवाई के नाम से किया है।

जनलोक क्लास अॅक्शन तथा सेबी प्रोसिडिंग्ज इन सबकी सुनवाई दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१८ को निर्धारित हुई है।

पी.ए.सी.एल. लि. के साथ पैसों का निवेश करके भारतमे जमीन खरीदने के लिए उसका अनधिकृत तरिकेसे उपयोग किया गया है इसी विषय के साथ उक्त क्लास





अॅक्शनचा संबंध है । ऑस्ट्रेलियामे उन पैसोंमेसे संपत्ती की खरीद के लिए कुछ पैसा भेजा गया उसके साथ इस क्लास एक्शन का विशेष रूप से संबंध है ।

उक्त सांघिक न्यायालय द्वारा इस तरह का आदेश पारित हुआ है कि जो व्यक्ति इस मामले मे सम्मिलित है उनकी जानकारी के लिए इस नोटिस का प्रकाशन किया जाये । आप भी इस कारवाई के साथ जुडे हो सकते है । इसके लिए यह जरूरी है कि आप इस नोटिस को ठीक तरह पढे । इस नोटिस के विषय मे आपके सामने कोई भी प्रश्न उपस्थित हो रहा हो उसे आप किसी न्यायालय मे न ले जायें। यदि आप इसमे पाते है कि कुछ बातें आपके समझसे परे है तो आप कानूनी सलाहकार की सहायता ले सकते है ।

२. क्लास अॅक्शन का सही अर्थ क्या है ?

उक्त क्लास अॅक्शन यह एक व्यक्ति के द्वारा या अनेक व्यक्तियों के द्वारा उनके तथा उनके सदस्यों की ओरसे एक या अनेक व्यक्तियों के विरुद्ध प्रारंभ की है । विशिष्ट समूहके सदस्यों की ओरसे आवेदकों ने उक्त कारवाई शुरु की है इस का कारण यह है कि उत्तरवादी के विरोध मे उनका दावा भी उसी तरह का है ।

इस क्लास अॅक्शन के विषय मे इस कारवाईको आगे बढाने के लिए होनेवाले कानूनी खर्च के लिए सदस्य उत्तरदायी नहीं होंगे । इस क्लास अॅक्शनमे खर्च के लिए केवल आवेदक ही उत्तरदायी होंगे.

यदि क्लास सदस्यों ने कारवाई करने के विकल्प का चयन किया हो तो उक्त क्लास एक्शन से जो भी निकलकर आयेगा उसके लिए वे जिम्मेदार होंगे । यह क्लास सदस्य दो तरह से बांधे जायेंगे । पहले तरिके मे यदि निकालपत्र पारित किया जाता है और उसके बाद यदि कारवाई करनेका निर्धारित किया जाता है और दूसरे तरिके मे किसी भी समय किसी तरह का कोई समझौता होने की गुंजाईश हो।





यदि क्लास अॅक्शनमध्ये घोषित होता है या किसी तरह का कोई समझौता होता है तो क्लास सदस्य अपने दावे को आगे बढा नहीं सकेंगे तथा उत्तरवादी के विरुद्ध उन्हे वह दावा या मांग करना संभव नहीं रह जायेगा ।

यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी एक उत्तरवादी के विरुद्ध तथा अनेक उत्तरवादी के विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से दावा है (जो जनलोक क्लास एक्शन से भिन्न होगा) या अन्य कोई दावा होगा तो आपको चयन करने के लिए निर्धारित समयसीमा समाप्त होनेसे पहले क्लास एक्शन के परिणामों के विषय मे आपके लिए आवश्यक है कि आप स्वतंत्र रूप से कानूनी सलाह प्राप्त करें ।

३. जनलोक क्लास अॅक्शन क्या है?

उक्त जनलोक क्लास अॅक्शन सुनंदा बाळकृष्ण कदम, विशाल दिलीप म्हेत्रे आणि आबासाहेब रूपनर इनमेसे हर एक ने अपनी ओरसे तथा नियमावलीमे स्पष्ट रूप से वर्णन कियेमुताबिक क्लास सदस्यों की ओरसे यह प्रारंभित कारवाई है ।

ऑस्ट्रेलियाके सांघिक न्यायालया के सामने पेश हुए क्यू.यू.डी. ५२८ वर्ष २०१६ च्या सुधारित दावे की कारवाई मे आवेदकों द्वारा अनेक आरोप किये गये है. उन्होंने इस तरह आरोप किये है कि सन १९९४ से २०१४ तक निर्मलसिंग भांगू ने बिना पंजिकरण के निवेश की एक योजना संचालित की थी जो एक कानूनी योजना होनी चाहिए थी जिसके द्वारा पी.ए.सी.एल. लि. भारतमे जमीन खरीद करके उसे विकसित कर रहे थे तथा भारत मे निवेशकों को जमिनपर बने प्लॉट बेच रहे थे । आवेदकों ने आरोप किया है कि यह एक कपटपूर्ण योजना थी ।

उक्त कार्य मे उपलब्ध लगभग १३३ दशलक्ष ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की धनराशी पी.ए.सी.एल. लि. ने भारत मे स्थित पर्ल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लि. (पी.आय.पी.एल.) को हस्तांतरित की । आगे चलकर यही धनराशी ऑस्ट्रेलिया के बैंक मे खुले खाते मे हस्तांतरित हुई । जेथे तिचा विनियोग अनधिकृत हेतूसाठी करण्यात आला जिसका उपयोग अनधिकृत हेतुओंके लिए किया गया ।





आवेदक का दावा है कि उक्त हस्तांतर एक कपटपूर्ण योजना के हिस्से के रूप में किया गया। आवेदकों का दावा है कि एक कपटपूर्ण योजना के एक हिस्से के रूप में उक्त हस्तांतरण किया गया था। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि यह पैसा गलत तथा अनधिकृत कामों के लिए इस्तेमाल हुआ। आवेदकों का दावा है कि वे तथा अन्य क्लास सदस्यों ने पी.ए.सी.एल. लि. के पास किये निवेश के मामले में उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। इसलिए आवेदकों ने मांग की है कि उनका तथा अन्य क्लास सदस्यों का यह पैसा उन्हें वापस दिया जाये। उत्तरवादीयों ने इन सभी आरोपों को ठुकरा दिया और कहा कि वे कानूनी कारवाई का सामना करने के लिए तैयार हैं। इस क्लास एक्शन में सेबी तथा ऑस्ट्रेलियन कमिशनर ऑफ टैक्सेशन का भी हस्तक्षेप होगा।

सेबी ने द्वारा प्रस्तुत अन्य दावे :

मार्च २०१७ में सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने सेबी प्रोसिडिंग का प्रारंभ किया। जनलोक क्लास अँक्शन तथा सेबी प्रोसिडिंग यह दोनों एक दूजेसे अलग हैं लेकिन वे एक दूजेसं संबंधित हैं। दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१७ को इन दोनों दावों की सुनवाई करना निर्धारित हुआ है। जनलोक क्लास अँक्शन में सेबी की ओरसे हस्तक्षेप होना अपेक्षित है।

इसमें सेबी के द्वारा यह कथन किया है कि पी.ए.सी.एल. लि. तथा अन्य तत्सम कंपनियों में निवेश करनेवाले भारत के ५८.५ दशलक्ष निवेशकों की ओरसे किये निवेश में जनलोक क्लास एक्शन में समाविष्ट निवेशक भी थे उनके लिए वे काम कर रहे हैं। पी.ए.सी.एल. लि. की ओर से ऑस्ट्रेलिया की ओर हस्तांतरित हुई धनराशी वापस लाने के लिए वे काम कर रहे हैं (इस पैसे में संपत्ती बेचकर मिला पैसा भी सम्मिलित है)।

आवेदक ने कथन किया है कि सेबी प्रोसिडिंग प्रारंभ करने के लिए सेबी के पास कोई स्थायी शीर्ष नहीं है। जनलोक क्लास अँक्शन तथा सेबी प्रोसिडिंग के





विषय मे सेबी के अधिकारों के विषय मे वर्तमान मे न्यायालय के संमुख केस चल रहा है । डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्री ऑफ फेडरल कोर्ट (सांघित न्यायालय) से संपर्क करके तथा उन्हे आवश्यक निर्धारित फीस देकर आपको सेबी प्रोसिडिंगके दस्तावेजों की नकलें प्राप्त की जा सकती है । इस संपर्क के लिए आवश्क विवरण www.fedcourt.gov.au इस वेबसाईटपर उपलब्ध है ।

४. इस पश्चगमन का अर्थ क्या है?

इस क्लास अॅक्शनके आवेदकोंने उनकी ओरसे इस क्लास एक्शन के लिए क्लास सदस्यों से अनुमति मांगनेकी कोई आवश्यकता नही या किसी विशिष्ट क्लास सदस्य की आवश्यकता नही है । कोई भी क्लास सदस्य उक्त क्लास अॅक्शन से पश्चगमन करके अपनी सदस्यता समाप्त कर सकते है । क्लास सदस्य कितस तरह यह पश्चगमन कर सकते है इस विषय मे निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत है। उस स्पष्टीकरण का शीर्षक है " आप इस कारवाईसे किस तरह पश्चगमन कर सकते है?" .

५. क्या आप क्लास सदस्य है?

यदि आप जनलोक प्रतिष्ठान पुणे भारत के वर्तमान सदस्य है या आपने शाईन लॉयर्स के साथ कुछ शर्तोंपर उक्त कारवाई के विषय मे दिनांक १३ जुलै २०१६ से पहले कोई अनुबंध किया हो तो आप भी १३ जुलै २०१६ के दिन एक क्लास सदस्य माने जायेंगे ।

यदि आपके मन मे अपने क्लास सदस्य होने के विषय मे कोई संभ्रम हो तो आप शाईन लॉयर्स से संपर्क करें (उनकी जानकारी नीचे प्रस्तुत है) या आप स्वयं ही कानूनी सलाह प्राप्त कर सकते है ।

६. आपके क्लास सदस्य होनेपर क्या आप कानूनी खर्च के लिए उत्तरदायी होंगे?





आवेदक तथा अन्य क्लास सदस्य इनके सामने खड़ी समस्याओं को न्यायालय के द्वारा सुलझाने के लिए यदि आप जनलोक क्लास अॅक्शन मे क्लास सदस्य है तो किसी भी कानूनी खर्च के लिए आपको उत्तरदायी नहीं माना जायेगा । तथापि इस केस के विषय मे यदि आपका अपना कुछ निजी दावा हो तो आप शाईन लॉयर्स या आपके लिए काम करनेवाले किसी अन्य लॉयर्स से संपर्क कर सकते है । शाईन लॉयर्स से संपर्क करने के लिए आवश्यक विवरण नीचे प्रस्तुत है ।

उक्त क्लास एक्शन मे यदि कोई आदेश पारित हुआ हो या कोई समझौता हो गया हो और उसके परिणामवश आपको कोई धनराशी देना बनती है तो उस विषय मे न्यायालय के द्वारा ऐसा आदेश भी पारित हो सकता है कि उन पैसोंमेसे इस क्लास एक्शन को चलानेके लिए आवेदकों ने जो खर्च किया है उसकी पूर्तता की जानी चाहिए जो अपेक्षा उत्तरदायी से नहीं की जा सकती । इस तरह के क्लास एक्शन के केंस कई बार न्यायलय से बाहर समझौते के मार्ग से सुलझाये जाते है । यदि ऐसा होता है तो जो भी धनराशी बन जायेगी उसमेसे आपका हिस्सा पाने के लिए आप बिना कोई वकील किये दावा कर सकते है ।

७. यदि आपने क्लास सदस्य बने रहने के विकल्प का चयन किया तो क्या होगा?

जबतक आप पश्चगमन नहीं करते तबतक जनलोक क्लास एक्शन मे न्यायालय द्वारा सूचित समाधान के लिए तथा पारित आदेश के लिए तथा न्यायनिर्णय के लिए बंधे रहेंगे । यद उक्त क्लास एक्शन सफल होता है तो आपको भी आवेदक तथा क्लास सदस्यों के हित मे पारित आदेश के कारण होनेवाले मुनाफे मे अपना हिस्सा मांगने का अधिकार होगा उसके लिए फिर चाहे आपको कुछ शर्तों को पूरा करना आवश्यक होगा । यदी उक्त अॅक्शन असफल होता है या आपकी अपेक्षा के अनुसार सफल नहीं होता है तो आपको अपना दावा आगे बढ़ाना संभव नहीं होगा तथा उत्तरवादी के विरुद्ध किसी अन्य कारवाई के दौरान आप यह दावा नहीं कर पायेंगे ।



८. क्लास सदस्यों ने क्या करना चाहिए?

a. आप क्लास सदस्य कैसे रह सकते हैं ?

यदि आप क्लास सदस्य के रूप में आगे भी बने रहना चाहते हैं तो वर्तमान में आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी। जबतक आपकी ओरसे आवेदक न्यायालय में अपनी कारवाई जारी रखते हैं तथा जब भी न्यायालय सभी हे हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर उचित निर्णय लेंगे तब आप भविष्य में आपको नोटिसेस मिलने के लिए आप निम्नलिखित क्रमांक की सहायता से शाईन लॉयर्स के साथ संपर्क कर सकते हैं।

b. आप किस तरह इस क्लास अॅक्शन से पश्चगमन कर सकते हैं?

यदि आप क्लास सदस्य के रूप में आगे बने रहना नहीं चाहते हैं तो आप इस क्लास एक्शन से पश्चगमन कर सकते हैं। यदि आप पश्चगमन के विकल्प का चयन करते हैं तो आप न्यायालय द्वारा पारित किसी भी आदेश के लाभ में हिस्सेदार नहीं होंगे या यदि कोई समझौता होता है तो उसमेंसे मिलनेवाले लाभ में भी आपको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन जबतक सेबी प्रोसिडिंग चलेगी तबतक सेबी की ओरसे यह आश्वासन दिया है कि इस कारवाई के दौरान वे भारत के सभी निवेशकों के हित की रक्षा के लिए प्रयत्नशील हैं जिसमें आपका हित भी सम्मिलित है। इन दोनों प्रोसिडिंग की सुनवाई न्यायालय के द्वारा /फरवरी २०१८ में संपन्न होगी।

यदि आप जनलोक क्लास अॅक्शन से पश्चगमन करने का निर्णय लेते हैं तो आप उत्तरवादी के विरुद्ध अपना अलग से दावा दाखील कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने दावेके हिसाब से निर्धारित समय के भीतर न्यायालय की प्रक्रिया का प्रारंभ करना होगा। यदि उत्तरवादी के विरुद्ध



दवा आगे बढ़ाने की आपकी इच्छा हो तो फिर पश्चगमन करनेसे पूर्व आपको निर्धारित समयसीमा के बीच अपने दावे के विषय में आवश्यक कानूनी सलाह भी प्राप्त करनी होगी ।

यदि आपको क्लास एक्शन से पश्चगमन करना हो तो आपको न्यायालय द्वारा मान्यताप्राप्त नमूना २१ में "क्लास सदस्य की पश्चगमन नोटिस" भेजनी होगी जिस बादमे रजिस्ट्रार ऑफ फेडरल कोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया को भेज देना होगा ।

महत्वपूर्ण : उक्त नोटिस रजिस्ट्रार के पास दिनांक २२ नवंबर २०१७ को दोपहर ४.३० से पहले पहुंचना आवश्यक होगा । यदि ऐसा नहीं होता है तो उस नोटिसका कोई उपयोग नहीं होगा ।

आपको क्लास सदस्य के रूप में पश्चगमन का नोटिस भेजना आवश्यक है यदि :

- i. आपके पास क्लास सदस्य बननेकी अर्हता है तथा आपकी इच्छा इस सदर क्लास अॅक्शन से पश्चगमन करने की है ।
- ii. यदि आपको पूरा विश्वास है कि गलत ढंगसे आपको क्लास सदस्य माना गया है यदि आप उसके लिए निर्धारित शर्तोंको पूरा नहीं कर रहे है ।

हर एक सदस्य को जो पश्चगमन करना चाहता है स्वतंत्र फॉर्म भरकर देना आवश्यक होगा ।

९. मर्यादा कालावधि :





यह मर्यादा समयसीमा कानूनसे निर्धारित की है । यह समयसीमा समाप्त होने से पहले यदि व्यक्ति द्वारा कानूनी कारवाई शुरू नहीं की गयी हो तो उस व्यक्ति का दावा करने का अधिकार भी समाप्त हो जाता है ।

जिन क्लास सदस्यों ने पश्चगमन नहीं किया है उनके विषय में हर तरह की मर्यादा समयसीमा को रोक रखा है । जिस पल व्यक्ति क्लास एक्शन का विकल्प चुनता है उसी पल से उनकी समयसीमा शुरू होती है । यदि आप ने क्लास एक्शनसे पश्चगमन का चयन किया हो और आपके दावे के विषय में निर्धारित समयसीमा पूरी होने जा रही है या समाप्त नजर आती है जिसके कारण आप क्लास एक्शन में नहीं होंगे तथा आपको उत्तरवादी के विरुद्ध कोई कारवाई करनेका अधिकार नहीं रहेगा ।

१०. संबंधित दस्तावेज की नकलें आप कहांसे हासिल कर सकते हैं ?

क्लास एक्शन तथा सेबी प्रोसिडिंग इन दोनों मामलों में संबंधित कागदपत्रे दाखिल की गयी है । इस विषय में विभिन्न आवश्यक दस्तावेज उदा. जनलोक क्लास एक्शन का सुधारित प्रारंभिक आवेदन, सेबी प्रोसिडिंग में प्रारंभिक आवेदन, जनलोक क्लास एक्शन में दावे का सुधारित विवरण, सेबी प्रोसिडिंगमें दावे का विवरण, एम.आय.आय. रिसॉर्ट्स ग्रुप-१ प्रा. लि. द्वारा चुना हुआ बचाव, सेबीने सदर बचाव को दिया हुआ उत्तर वैसे ही सुखविंदर कौर व गुरुप्रताप सिंग के द्वारा दाखिल बचाव इ. की नकलें आपको निम्नलिखित तरिकों से मिल सकती है :

- a. शाईन लॉयर्स की निम्नलिखित वेबसाईट से डाऊनलोड करना
<http://www.shine.com.au/service/class-action/pearls-ponzi-scheme/> अथवा
- b. फोन क्र. ०२०-६५२७२७३७ पर कॉल करके अपॉइंटमेंट लेकर सुबह ९.०० ते शाम ५.०० बजे तक ऑफिस नं. ४०, चौरंग स्मितशिल्प, मांजरी रोड, महादेव नगर, हडपसर, पुणे-४१२३०७ इस पतेपर उन्हे देखा जा सकता है ।



यह केस बड़ी ही सावधानी से चलाना होगा । इसमे आपको ऐसा कुछ दिखायी देता है जिसके विषय मे आपके मन मे निश्चितता नही है तो आप आवेदक के वकील शाईन लॉयर्स से उनकी <http://www.shine.com.au/service/class-action/pearls-ponzi-scheme/> या वेबसाईट द्वारा संपर्क कर सकते है या +६१ ७ ३८३७ ८४१५ इस क्रमांकपर फोन करके आप इच्छित सलाह पा सकते है इसलिए आप आपला निर्णय लेने मे जरा भी विलंब न करें ।



दि रजिस्ट्रार

फेडरल कोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया

क्रिन्सलैन्ड डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्री

इरी गिल्ब वेल्थ कॉमनवेल्थ ऑफ कोर्ट्स बिल्डिंग

११९ नॉर्थ के (सीपुनवार् टॉन्क स्ट्रीट)

क्रिन्सलैन्ड-५०००

वक्तास का नाम

सदस्य

उक्त वक्तास

अंशदान मे वक्तास सदस्य है, यह वक्तास सदस्य फेडरल कोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया अंतर्गत

१९०६ एका वक्तास ३३३ के अनुसार नोटिस देते है कि वे वक्तास सदस्य

के रूप मे इस वक्तास अंशदान से परचगमन करना चाहते है ।

दिनांक

हस्ताक्षर

